FORM No. III

APP-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ......उपखण्ड अधिकारी......मुकाम......कोटा......

......अनावार......बनाम......दीपक अन्य......

किस्म मुकदमा......136 LR Act......नं. ......75......सन्......2025......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
6/8/25	राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। जांच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र पर बहस कर प्रार्थना–पत्र स्वीकार जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक 11/8/25 को पेश हो। 6/8/25	
11/8/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है अप्रार्थी द्वारा ग्राम रंगतालाब उर्फ कालातालाब में दर्ज खसरा संख्या 416 रकबा 1.19 है0 व खसरा नं0 725/416 रकबा 0.05 है0 है। उक्त खसरे की तरमीम खसरा संख्या 416 की तरमीम दक्षिण दिशा में व 725/416 की तरमीम उतर दिशा में संलग्न नजरी नक्शे अनुसार की जानी थी। परन्तु सहवन से उक्त खसरा नं0 416 की तरमीम उत्तर दिशा में व 725/416 की तरमीम दक्षिण दिशा में दर्ज हो गयी है। अतः उक्त प्रविष्टियों को दुरूस्त किया जाना है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त शुद्धि की जावें। पत्रावली एवं सलंग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि ग्राम रंगतालाब उर्फ कालातालाब में दर्ज खसरा नं0 416 व 725/416 की तरमीम खसरा संख्या 416 की तरमीम दक्षिण दिशा में व 725/416 की तरमीम उतर दिशा में संलग्न नजरी नक्शे अनुसार की जानी थी परन्तु सहवन से उक्त खसरा नं0 416 की तरमीम उत्तर दिशा में व 725/416 की तरमीम दक्षिण दिशा में दर्ज हो गयी है। जिसकी शुद्धि किया जाना उचित है। उपरोक्तानुसार बाद विवेचन प्रार्थना पत्र को प्रथम दृष्ट्या ही स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम रंगतालाब उर्फ कालातालाब के खसरा नं0 416 एवं 725/416 की तरमीम दुरूस्त किया जावें। नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। उक्त निर्णय आज दिनांक ......11/8/25...... को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। 11/8/25 उपखण्ड अधिकारी कोटा	